	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	पौष 16, मंगलवार, *शाके* 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 01, 2026

संख्या प.4(7)कृषि/ग्रुप-2/2007 :-जैसा कि इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.01.1979 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, उनियारा की स्थापना की गई थी

अब कृषि उपज मण्डी समिति उनियारा द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम बनेठा मे गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम बनेठा मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - खसरा नं. 7961,7962,7932
पश्चिम दिशा मे - खसरा नं. 7978, 7977, 7973,7972
उत्तर दिशा मे - बनेठा-सुरेली रोड
एवं दक्षिण दिशा मे- खसरा नं. 7271

गौण मण्डी यार्ड बनेठा की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

16766
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।